Article – महिला षिक्षा के बढ़ते कदम

प्रस्तुतकर्ता
डॉ. श्रीमती सुनीला एक्का
सहायक प्राध्यापक
(राजनीतिषास्त्र)
षासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा,
जिला बिलासपुर छ.ग.

महिला सषक्तिकरण ऐसा तथ्य है जिसको नजरअंदाज करने से किसी भी समाज देष के विकास की गति को धीमा कर सकती है। इस संबंध में भारत की बात हो तो यह और भी आवष्यक हो जाता है क्योंकि भारतीय महिलाएं न केवल देष की आधी आबादी है वरन उन्होने बीते दषकों में तमाम बाधाओं के बावजूद आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। महिला सषक्तिकरण 'षिक्षा' के साथ अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। षिक्षा का तात्पर्य आखिर ज्ञान मात्र नहीं है। षिक्षा निर्णय लेने की क्षमता, आर्थिक स्वावलम्बन और अधिकारों के प्रति जागरूकता के कार्य को प्रषस्त करती है।

शिक्षा राष्ट निर्माण की आधारषीला है एवं समाज व संस्कृति को गतिषील बनाने, उसके विकास व शोधन की अनिवार्य कणी है। षिक्षा से समाज में लोगों के अंदर नैतिक मूल्यों व संस्कृति के विकास के क्रम में **मनसा वाचा कर्मणां** के भाव जागृत होते है, जिसके फलस्वरूप समाज के चर्तुमुखी विकास संभव होता है। ''महिला समाज की अभिन्न अंग है।'' जब एक पुरूष षिक्षित होता है तो व्यक्ति षिक्षित होता है और जब नारी षिक्षित होती है तो पूरा एक परिवार षिक्षित होता है।

षिक्षा महिलाओं में उनकी स्थितियों को सुधारने व उनके विकास में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करती है। षिक्षा और विकास के बीच गहरा संबंध है। महिलाओं को षिक्षा व अधिकार दिए बिना कोई समाज उन्नति नहीं कर सकता। व्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक व राजनीतिक विकास में महिलाओं के साक्षरता व षिक्षा के महत्व को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। इतना सब होते हुए भी वर्तमान में महिला षिक्षा की कमियां निम्नलिखित रूप में दिखाई देती हैं –

- कुषल प्रषासन की कमी या उसके प्रषासनिक उदासीनता हमारे देष में महिला षिक्षा के मार्ग में बाधाएं व कठिनाईयों को पैदा करती हैं।
- लड़कों के समान लड़कियों को समान शैक्षिक अवसर प्राप्त नहीं कराये जाते हैं।
- धन की कमी महिला षिक्षा में बाधा या समस्या के रूप में बनी हुई है, इसी वजह से देष के सभी भागों व वर्गों की महिलाओं को षिक्षा का प्रबंध नहीं हो पाया है।
- महिलाओं, लड़कियों के प्रति संकीर्ण विचारधारा, अंधविष्वास, अषिक्षा आदि के कारण महिला षिक्षा को बढ़ावा नहीं मिला है। षिक्षा के महत्व को न समझना महिला षिक्षा की राह मे रोड़े बना हुआ है।

<u>भारत में महिलाओं की षिक्षा के प्रयास के लिए बनी विभिन्न नीतियां :–</u>

- देष कि प्रथम षिक्षा नीति (1968) में सामाजिक पुर्ननिर्माण की गति को तीव्र करने के लिए लड़कियों को षिक्षा के महत्व एवं आवष्यकता को स्वीकार कर लड़के और लड़कियों के लिए समान शैक्षणिक अवसरों पर बल दिया गया।
- माध्यमिक षिक्षा आयोग (1952–53) मुख्य रूप से महिला षिक्षा के प्रति उदासीन रवैया था लेकिन आयोग ने लड़कियों के प्रति गृह विज्ञान की षिक्षा के लिए विषेष सुविधाएं देने तथा उसके मांग होने पर लड़कियों के लिए पृथक विद्यालय खोले जाने का सुझाव दिया।
- विष्वविद्यालय षिक्षा आयोग (1948–49) में अपने प्रतिवेदन में (अ) महिलाओं के लिए षैक्षिक अवसरों को बढ़ाने (ब) समान्यतः पुरूषों और स्त्रियों को षिक्षा देने तथा (स) पुरूषों की नकल करने के स्थान पर ऐसी षिक्षा देने की बात कही जिसे पाकर महिला एक अच्छी महिला बन सके।

- महिलाओं की दषा को जानने के लिए गठित **फुलरेन गुहा समिति (1971–74)** में षिक्षा के सभी स्तरों पर सहषिक्षा पर बल दिया।
- राष्ट्रीय षिक्षा नीति (1986) में स्त्रियों की समानता हेतु षिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। इस नीति में स्त्री साक्षरता के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने तथा विभिन्न तकनीकि एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में स्त्री की सहभागीता बढ़ाने की बात कही गई है।
- वर्तमान में 'सर्व षिक्षा अभियान' के नाम से संचालित 10 वर्षीय (2001–10) में वृहद शैक्षणिक कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2010 के अंत तक देष के 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को आठवीं तक षिक्षा पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संषोधन करके षिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है।

भारत में महिलाओं के षिक्षा के विकास हेतु कार्यक्रम :–

- षिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निःषुल्क षिक्षा होने से लड़कियों के नामांकन व धारण में वृद्धि हुई है।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिषन उन 47 जिलों पर विषेष ध्यान दे रहा है, जहां 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का स्तर 30 प्रतिषत से भी कम है। इनमें अधिकतर जिले बिहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेष और उडीसा से है।
- महिला षिक्षा के विकास हेतु केन्द्र सरकार निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित कर रही है। जिसमें विषेष आवासीय विद्यालय की योजना, बालिका प्रोत्साहन राषि योजना, अल्पसंख्यकों हेतु नई छात्रवृत्ति योजना, एकल बालिका निःषुल्क योजना, राष्ट्रीय प्रतिभा प्रोत्साहन योजना आदि हैं।
- ऐसे माता–पिता जिनकी केवल एक ही पुत्री है उनकी षिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विष्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एकल बालिका प्रोत्साहन योजना 2005 संचालित किया।
- बालिकाओं के लिए **'उड़ान'** नाम की विषेष योजना, परामर्ष और छात्रवृत्ति की योजना है, जिससे प्रतिभाषाली बालिकाओं को आसानी से स्कूल षिक्षा से तकनीकी षिक्षा तक ले जाया जा सके। इसका लक्ष्य वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सभी को मुफ्त ऑनलाईन संसाधन उपलब्ध कराकर गणित और विज्ञान के षिक्षण व अधिगम को समृद्ध करना एवं परिवर्धित करना है।
- वर्तमान में मंजूर हुई प्रधानमंत्री कौषल विकास योजना (PMKVI) षिक्षा शास्त्र के बेहतर प्रषिक्षित अनुदेषक, पाठ्यक्रम में सुधार पर केन्द्रीत और युवाओं को कौषल प्रषिक्षण प्रदान करने वाली सर्वोत्कृष्ठ योजना है। प्रषिक्षण में सरल कौषल, व्यक्तिगत तैयारी और व्यवहारवादी परिवर्तन शामिल है। कौषल और उद्योग उपक्रम विकास की राष्ट्रीय नीति भी किस दिषा में उठाये गये कदमो के सभी पहलूओं को समाविष्ट करने वाली हैं।
- महिला षिक्षा के विकास में एवं उसके विस्तार के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की अहम भूमिका रही है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) में षिक्षा एवं अनुसंधान कार्यो को महत्व देते हुए 149 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। इस योजना में बुनियादी षिक्षा, व्यवसायिक षिक्षा व प्राविधिक षिक्षा के साथ ही महिला षिक्षा के लिए विषेष प्रावधान किया गया था। 12वी पंचवर्षीय योजना के शैक्षिक लक्ष्य के अंतर्गत महिला षिक्षा को समावेषी षिक्षा के माध्यम से अधिक तीव्र गति से विकास करने पर बल दिया गया है।

सुझाव :–

- सुरक्षित, भेदभाव रहित समतामूलक वातावरण तैयार करना जिससे बच्चों विषेषकर लड़कों को ऐसे गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए जिससे उन्हें विविधता को समझना और सराहना, असहमति का आदर करना तथा अन्य बच्चों और लड़कियों के प्रति व्यवहार के स्कूली नियम बनाने व अच्छा वातावरण निर्माण किया जाना।
- सभी बच्चों में (लड़का हो या लड़की) को गुणवत्तापूर्ण षिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करना।

- बच्चों को स्कूल लाने या स्कूल को बच्चे तक ले जाने से षिक्षा प्रदान करने की प्रणाली के प्रत्येक चरण में सार्थक उपलब्धता जिसमें (षिक्षा, सही कौषल को सिखाना आदि) कराना।
- बच्चियां घरों में, समुदायों में और स्कूलों में लम्बे समय तक घिरी रहती है। लड़कियों को लम्बे समय तक सहायता दिये जायें व उनकी षिक्षा के लिए व्यापक नीति तैयार करने की आवष्यकता है, जो उसके स्कूली जीवन के बाद भी जारी रहे और अपना ध्यान लैंगिक समानता पर केन्द्रीत न कर सकें।
- षिक्षा के उल्लेखनीय प्रयासों में नेषनल डिजिटल लायब्रेरी की स्थापना, विषेष रूप से सक्षम बच्चों को तकनीकी षिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति के प्रावधान और उच्च षिक्षा संस्थाओं को गांवों के साथ जोड़ना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरणों के सर्वोत्तम उपयोग पर ध्यान केन्द्रीत करना जिसके अंतर्गत ऐसा प्लेटफार्म तैयार करना जिसके माध्यम से आई.आई.टी., आई.आई.एन. और केन्द्रीय विष्वविद्यालयों के उच्च योग्यता प्राप्त षिक्षक मुफ्त ऑनलाईन कोर्स प्रदान कर सकें।
- सरकार द्वारा प्रारंभ की गई **बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ** और डिजिटल योजनाओं के साथ युवाओं विषेषकर महिलाओं को अनिवार्य तौर पर कम्प्यूटर का उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए और उन्हें कुषल (किसी भी क्षेत्र में) बनाया जाना चाहिए।

विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में महिलाओं में एक चेतना व आत्मविष्वास पैदा किया है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण देष में स्त्री और पुरूष के मध्य लिंग भेदों को शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला समस्या की दिषा में सार्थक कदम भी उठाये जा रहें हैं जिससे हमे वर्तमान समय में जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने सर्वोच्चता को प्राप्त नहीं किया हो और आज भी महिलाएं पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई देती हैं। बावजूद इतना होते हुए भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा। अपनी कमियों को पहचानना, अपने अधिकारों की मांग के साथ कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होगा, निरीक्षरों को षिक्षित करना होगा, समाज में फैली हुई रूढ़ियों, अंधविष्वासों को जड़ से समाप्त करना होगा।

संदर्भ सूची (References)

1. योजना / सितम्बर 2015 / पृष्ठ 53
2. योजना / जनवरी 2016 / पृष्ठ 46, 48, 50
3. एम.एल. गुप्ता / डी.डी. शर्मा. / समाजशास्त्र / साहित्य भवन पब्लिकेषन्स दिल्ली / पृष्ठ क्र. 697, 698